बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0–4 / 04–1–02–2025 पटना, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मूल कोटि वरीयता के आधार पर योग्य पाये गये आयुद्धिक अवर निरीक्षक को आयुद्धिक निरीक्षक में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–7) सहित, अस्थायी, स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है, जिसकी सूची **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्नित है। साथ ही केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा अन्य मामलों को रिक्ति नहीं रहने के कारण परिधि से बाहर रखे गये है, जिसकी सूची **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्नित है।

2. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्त्तो के अध्यधीन है।

3. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त सभी आयुद्धिक अवर निरीक्षक से इस आशय का न्यायिक शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित / लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरूद्ध निगरानी / अपराधिक / फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ पत्र के उपरान्त ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

4. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित किसी भी आयुद्धिक अवर निरीक्षक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध निगरानी / फौजदारी / आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगी।

5. सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित / रद्द करने हतु स्वतंत्र होगा।

6. इस आदेश से आच्छादित पुलिस कर्मी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाला जिला / इकाई / कार्यालय में कार्यरत रहेंगे।

7. उपर्युक्त आयुद्धिक अवर निरीक्षक को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आयुद्धिक निरीक्षक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

8. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् कार्यालय / इकाई में स्वीकृत पद से अधिक संख्या में पदाधिकारी के हो जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय / इकाई प्रधान अविलंब पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2

13/01/25

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–पी0–4 / 04–1–02–2025 / 08 पटना, दिनांक– 13.01.2025

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी / भोजपुर / सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. समादेष्टा, बि०वि०स०पु०–02, डिहरी ऑन–सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को यह आदेश बिहार पुलिस के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/01/25

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

Ved/Adesh 2025/Abhi

परिशिष्ट–1

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक में आयुद्धिक अवर निरीक्षक की कोटि से आयुद्धिक निरीक्षक की कोटि में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) की सूचीः–

क्र०	नाम / गृह जिला	मूल कोटि वरीयता क्रमांक	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	रामाकांत पाण्डेय / पलामू (झारखण्ड)	21	28.12.1987	बि0वि0स0पु0–2, डिहरी ऑन सोन
2	बिनोद कुमार झा / मधुबनी	22	03.02.1988	पु0उ0म0नि0 कार्या0, सहरसा
3	विरेन्द्र कुमार सिंह / पटना	23	01.05.1988	केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला, पटना
4	शशिशेखर मिश्र / दरभंगा	27	17.06.1988	मोतिहारी
5	रमेश कुमार निम्बरान / हरियाणा	28	30.06.1988	भोजपुर
6	शैलेन्द्र कुमार सिंह / मोतिहारी	30	03.09.1988	सीतामढ़ी

Abhijeet

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।

परिशिष्ट–2

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक में आयुद्धिक निरीक्षक की कोटि में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने हेतु केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गयी समीक्षा के क्रम में विचारण की परिधि से बाहर में रखे गये आयुद्धिक अवर निरीक्षक की सूचीः–

क्र०	नाम / गृह जिला	मूल कोटि वरीयता क्रमांक	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6
1	जगनारायण सिंह / वैशाली	32	15.06.1989	रेल पटना	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
2	गोरखनाथ राम / बलिया (उ0प्र0)	33	05.09.1990	सिवान	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
3	जया शंकर चौधरी / दरभंगा	34	19.01.1991	समस्तीपुर	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
4	अनिल कुमार ओझा / भोजपुर	36	14.07.1992	बक्सर	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
5	कैलाश झा / खगडिया	40	25.03.1986	रेल कटिहार	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
6	दुःखहरण राम / कैमूर	42	01.04.1986	रेल जमालपुर	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
7	मटून बैठा / वैशाली	43	17.10.1986	पटना	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
8	महाराज पासवान / गया	44	01.01.1988	भागलपुर	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर
9	भगन सौरेन / कटिहार		15.03.1991	बक्सर	रिक्ति नहीं रहने के कारण विचारण की परिधि से बाहर

Abhijeet

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।